

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4201

दिनांक: 14/12/11

## // सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध पं. श्यामाचरण उध्याध्याय महाविद्यालय, जौरा-खुर्द, मुरैना (07532-242086) को सत्र 2010-11 एवं सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए.- (आ.पा., हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, सैन्य विज्ञान, संस्कृत एवं कम्प्यूटर), बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति. विषय), बी.एस-सी.- (आ.पा., रसायन. जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस अति. वि.) एवं पी.जी. डी.सी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442603)
- (2) प्रो. एस.रे. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. के.एस. ठाकुर, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर
- (4) डॉ. ओ.पी. बुधोलिया, विभागाध्यक्ष, शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा निम्नलिखित सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।


समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के उक्त सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

  
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



जान : पूर्वीमिठी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(फारवार्डिंग)  
2442462 (निवात)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jureg\_gwja@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 49२२

दिनांक : २५/५/१२

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के निर्णयानुसार पं. श्यामाचरण उपाध्याय महाविद्यालय, जौरा-खुर्द, भुरैना को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.बी.ए. प्रथम वर्ष, बी.सी.ए. प्रथम वर्ष, बी.लिव., एम.कॉम. पूर्वाह्न, एम.ए. पूर्वाह्न-हिन्दी एवं अंग्रेजी, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय द्वारा परिचियम 28(17) के अन्तर्गत दैनिक नियुक्तियों एवं स्पॉर्ट्स ऑफिसर, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं टेक्नीकल स्टाफ की नियुक्तियां की जावे।
2. महाविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए 15,000-15,000/- रु. की पुस्तकें (कुल 1,00,000/- रु. की पुस्तकें) क्रय की जावे।
3. महाविद्यालय द्वारा न्यूनतम 10 कम्प्यूटर क्रय किए जावे उन्हें लेन से जोड़ा जावे और लायसेन्स सॉफ्टवेयर क्रय किया जावे।
4. शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ को वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जावे।

नोट :- महाविद्यालय द्वारा उपरोक्त सभी शर्तों की पूर्ति 30 जून 2012 तक आवश्यक रूप से कर ली जावे अन्यथा सत्र 2012-13 की सम्बद्धता पर विचार नहीं किया जावे।

### सीट संख्या :-

बी.बी.ए. - 60	बी.सी.ए. - 60	एम.कॉम. - 25
बी.लिव. - 20	एम.ए. (हिन्दी) - 30	एम.ए. (अंग्रेजी) - 30

आदेशानुसार

कुलसचिव

### प्रति,

1. प्राचार्य, पं. श्यामाचरण उपाध्याय महाविद्यालय, जौरा-खुर्द, भुरैना
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बंदल संग्राम, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्षा क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)